भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2970
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत समान और उचित मजदूरी

2970. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत सामाजिक समावेशन , विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कामगारों की भागीदारी को पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं , तो इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान एमजीएनआरईजीएस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कामगारों की भागीदारी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में मजदूरी असमानता के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों में एमजीएनआरईजीएस कामगारों के लिए एक समान और उचित मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार , जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं , उनको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान है। यह आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है , अर्थात ग्रामीण परिवारों के लिए तब आजीविका के विकल्प प्रदान करता है , जब कोई बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ यह उल्लेख किया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के श्रमिकों द्वारा सृजित श्रम दिवसों का प्रतिशत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 36.79% और वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 12.03.2025 तक) के लिए 36.78% है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रमिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इसके लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। इसके अलावा , अधिनियम की धारा 6 (2) में प्रावधान है कि जब तक किसी राज्य में किसी क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी दर तय नहीं की जाती है, तब तक कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी को उस क्षेत्र के लिए लागू मजदूरी दर माना जाएगा। तदनुसार , अधिनियम की धारा 6 (2) के प्रावधान के अनुसार , योजना के प्रारंभ से लेकर वित्तीय वर्ष 2010-11 तक, महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी दर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर तय की गई थी। हालाँकि , वित्तीय वर्ष 2011-12 से, भारत सरकार ने कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) का उपयोग करके मजदूरी दरों का निर्धारण करना शुरू कर दिया है।

महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को महंगाई से राहत देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में होने वाले परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर में संशोधन करता है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा अधिसूचितानुसार यह सूचकांक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग है। यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा गणना की गई मजदूरी दर पिछले वर्ष की मजदूरी दर से कम होती है, तो पिछले वर्ष की मजदूरी दर को ही बनाए रखा जाता है। मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अप्रैल माह की पहली तारीख से लागू की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अधिसूचित मजदूरी दर में कुल प्रतिशत वृद्धि लगभग 7% है।

हालाँकि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकता है।

लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2970 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रमिकों का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिक (संख्या में)			
		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	आंध्र प्रदेश	1520251	683453	1936193	758396
2	अरुणाचल प्रदेश	31	167697	18	228736
3	असम	138970	499422	171360	561645
4	बिहार	590692	55291	736000	72571
5	छत्तीसगढ़	459390	1603969	644804	1969234
6	गोवा	58	610	144	1988
7	गुजरात	73390	547831	111493	770899
8	हरियाणा	178975	0	299528	0
9	हिमाचल प्रदेश	195420	56112	233654	65096
10	जम्मू और कश्मीर	44786	156521	51851	142573
11	झारखंड	204661	468640	316195	834155
12	कर्नाटक	696809	427443	1020475	586791
13	केरल	243192	93615	324452	101193
14	लद्दाख	2	36961	2	38047
15	मध्य प्रदेश	890430	2220607	1405144	3735422
16	महाराष्ट्र	316602	612509	274571	787877
17	मणिपुर	16060	240977	16634	252681
18	मेघालय	4362	653024	4206	694764
19	मिजोरम	40	206883	45	221021
20	नागालैंड	50	407541	48	400280
21	ओडिशा	589951	1277448	912636	2038050
22	पंजाब	647336	442	798713	666
23	राजस्थान	1747179	1922432	2298583	2528303
24	सिक्किम	3299	28059	4023	32323
25	तमिलनाडु	1992368	89013	2373016	123353
26	तेलंगाना	874825	774854	1182553	1094894
27	त्रिपुरा	132841	346584	138999	366389
28	उत्तर प्रदेश	2039718	71299	3696502	126079

29	उत्तराखंड	114514	24757	151652	32389
30	पश्चिम बंगाल	2537174	795276	3453916	996411
31	अंडमान और निकोबार	0	28	0	528
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0
33	लक्षद्वीप	0	119	0	74
34	पुदुचेरी	13287	61	16830	90
	कुल	**16266663**	**14469478**	**22574240**	**19562918**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले पांच वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रमिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा					
		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	आंध्र प्रदेश	1884083	737056	1840624	737309	1831743	774068
2	अरुणाचल प्रदेश	15	262430	43	270957	59	266069
3	असम	180273	668252	157086	517900	189892	558255
4	बिहार	680904	75084	953072	97198	1082359	108882
5	छत्तीसगढ़	568592	1860154	458563	1645075	444059	1483216
6	गोवा	125	1286	35	1650	10	1014
7	गुजरात	103601	780572	84190	718255	82218	700700
8	हरियाणा	276038	0	244423	0	281464	0
9	हिमाचल प्रदेश	261316	64661	232285	60777	252811	60271
10	जम्मू और कश्मीर	49762	140076	41224	120100	39777	113509
11	झारखंड	313764	764268	262483	618527	243904	636454
12	कर्नाटक	1104080	661950	950808	611788	968654	630986
13	केरल	331165	107293	317990	106011	297913	104441
14	लद्दाख	0	37451	0	39176	0	36516
15	मध्य प्रदेश	1247934	3361603	1040885	2559725	829273	2238821
16	महाराष्ट्र	317364	755301	312768	693878	320955	706217
17	मणिपुर	16071	251277	9470	204317	13652	217623
18	मेघालय	4278	676791	3411	604573	4129	571842
19	मिजोरम	37	211985	51	217437	56	221965
20	नागालैंड	26	454451	1	485832	0	462306
21	ओडिशा	791931	1824075	755436	1694101	746608	1582642
22	पंजाब	741311	655	741369	309	742747	311
23	राजस्थान	2061567	2327879	1836154	2085612	1776887	2037447
24	सिक्किम	3786	31270	3648	29118	3580	28701
25	तमिलनाडु	2366394	130906	2197739	120923	2239923	129506
26	तेलंगाना	1047938	993140	952232	942074	850827	858181
27	त्रिपुरा	140503	378397	136375	370085	137059	382759
28	उत्तर प्रदेश	3021446	111155	2745096	92697	2498828	81751
29	उत्तराखंड	134466	27765	117661	23488	109769	24998

30	पश्चिम बंगाल	3071975	908445	487412	171868	1044	433
31	अंडमान और निकोबार	0	389	0	594	0	267
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	2104
33	लक्षद्वीप	0	24	0	101	0	77
34	पुदुचेरी	12223	89	13445	100	17001	172
	कुल	**20732968**	**18606130**	**16895979**	**15841555**	**16007201**	**15022504**